न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–319/2019

शफी अहमद अंसारी.....वादी

बनाम

मु0 जायदा खातुन एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
05.05.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी सं0–01 ता 01ई की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 08.10.2024 को उनके के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित कर कहा गया कि प्रतिवादी मकबुल आलम के वफात के बाद प्रतिवादीगण वाद में प्रतिस्थापित हुए है। मुल प्रतिवादी मकबुल आलम द्वारा दिनांक 10.01.2020 को बयान तहरीरी दाखिल किया गया है जिसको प्रतिवादीगण स्वीकार करते है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मूल प्रतिवादी द्वारा दाखिल बयान तहरीरी को प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की ओर से स्वीकार करने की कृपा की जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वाद प्रारंभिक अवस्था में है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–01 ता 01ई को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रतिवादीगण का आवेदन दिनांक 08.10.2024 स्वीकार करते हुए मूल प्रतिवादी द्वारा दाखिल बयान तहरीरी को ही प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण का बयान तहरीरी स्वीकार किया जाता है। आगामी दिनांक 16.06.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	